[redacted]

APPENDIX IV

संख्या-600/सत्तर-1-2019-16(114)/2010

प्रेषक,

डॉ0 अमित भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 28 जून, 2019

विषयः- "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" के सम्बन्ध में।

महोदय,

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन, 2018" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या 271 दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा निर्गत किया गया है।

2- "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन, 2018" को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के संदर्भ में लागू करने के सम्बन्ध में सुविचारित संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु शासन के आदेश संख्या-97/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 12 जून, 2019 द्वारा कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उपर्युक्त समिति की संस्तुति कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-वी0सी0/357/2019 दिनांक 21 जून, 2019 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी। समिति की संस्तुतियों एवं विषयगत बिन्दुओं पर राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों पर सम्यक विचारोपरान्त "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" के विनियमों को निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के संदर्भ में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन, 2018 के अनुरूप विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षक संवर्ग, पुस्तकालय संवर्ग, शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशकों की नियुक्ति की न्यूनतम अर्हताओं और अन्य सेवा शर्तों से सम्बन्धित मानक और वेतनमान तथा विश्वविद्यालयीय एवं महाविद्यालयीय शिक्षण से सम्बन्धित मानक लागू होंगे।

2 सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 02 नवम्बर, 2017 तथा 08 नवम्बर, 2017 द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1124/सत्तर-4-

2016–368(वि0वे0आ0)/2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2018 द्वारा लागू किया गया है।

3. उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों की अधिवर्षता आयु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है, जो यथावत लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 02 वर्ष का सेवाविस्तार 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पश्चात अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3/2017/730/सत्तर–1–2017 दिनांक 27 सितम्बर, 2017 के प्राविधान भी लागू होंगे।

4. राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1/2018/09/सत्तर–1–2018–16(58)/2017 दिनांक 18 जनवरी, 2018 एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–269/सत्तर–2–2014–16(240)/2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2014 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–3/2018/69/सत्तर–1–2018–16(58)/2017 दिनांक 18 जनवरी, 2018 निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेशों के अनुसार व्यवस्था लागू रहेगी।

5. यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2018 के विनियम संख्या 3.10 में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की अर्हताओं के अन्तर्गत वर्ष 2021 से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु पीएच0डी0 को अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पीएच0डी0 अर्हता प्राप्त शिक्षकों की उपलब्धता का आंकलन करने के उपरान्त यह विनियम आवश्यकतानुसार यथा समय लागू किये जाने पर विचार किया जायेगा।

6. यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2018 के विनियम संख्या 4.1 में महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हताओं का निर्धारण किया गया है, जिसे यथावत अंगीकृत किया जायेगा किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (6) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्या–6/2018/597/सत्तर–1–2018–16(123)/2015 दिनांक 06 अगस्त, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली के परिनियम संख्या 11.03.03 में अनानुदानित एवं स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य की अर्हताओं से सम्बन्धित जोड़े गये निम्नांकित परन्तुक को यथा स्थान परिनियमों में सम्मिलित किया जायेगा :–

"परन्तु अनानुदानित एवं स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य के हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड निम्नवत् होंगे :–

क– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ हो (अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा है, वहां किसी पाइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड)।

ख– सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं मे पीएच0डी0 की उपाधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन के साक्ष्यों सहित

ग– उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन/शोध/प्रशासन का अनुभव हो।"

7 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु चयन समितियों का प्राविधान उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में तथा उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन आयोग के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है, जो यथावत लागू रहेंगे।

8 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 में कुलपति एवं प्रति–कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है, जो यथावत लागू रहेंगे।

9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अवकाश नियमों के अन्तर्गत पितृत्व अवकाश, एडाप्शन लीव एवं सरोगेसी लीव को छोड़कर शेष अवकाशों को अंगीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50(6) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्या–269/सत्तर–1–2018–10(35)/2017 दिनांक 25–7–2018 द्वारा भारत के संविधान के अन्तर्गत स्थापित संघीय अथवा राज्य विधान मण्डल के सदस्यगण का संघ या राज्य सरकार द्वारा कला/विज्ञान/साहित्यिक/सांस्कृतिक/खेल आदि संगठनों/शैक्षिक संस्थानों/ आयोगों में निर्धारित राष्ट्रीय महत्व के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को अधिकतम 05 वर्ष का 'विशेष अवकाश' इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया गया है, जो यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2018 में अनुमन्य किये गये अवकाश नियमों के अतिरिक्त अनुमन्य होगा।

10 रिसर्च प्रमोशन ग्राण्ट के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार व्यवस्था लागू रहेगी।

11 'कोड आफ प्रोफेशनल इथिक्स' सम्बन्धी विनियम विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षक संवर्ग, पुस्तकालय संवर्ग, शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशकों के सम्बन्ध में लागू होंगे किन्तु प्रति कुलपति एवं कुलपति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधान ही प्रभावी होंगे। अतः प्रति कुलपति एवं कुलपति के सम्बन्ध में 'कोड आफ प्रोफेशनल इथिक्स' सम्बन्धी विनियम को लागू किये जाने पर अध्ययन कर निर्णय लिया जायेगा।

12 उच्च शिक्षण संस्थाओं में मानकों के अनुरक्षण सम्बन्धी विनियम संख्या–18.0 के प्राविधानों के अन्तर्गत पीएच0डी0 की मूल्यांकन प्रक्रिया यू0जी0सी0 रेगुलेशन के अनुसार किये जाने, 10 प्रतिशत से अनाधिक पीएच0डी0 के अधिसंख्य सीट ऐसे सेवारत शिक्षकों हेतु रखे जाने, जो पीएच0डी0 धारक नहीं हैं, आवश्यकता के आधार पर महाविद्यालयों के शिक्षकों को पीएच0डी0 निर्देशन की सुविधा दिये जाने आदि बिन्दुओं के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

13 पीएच0डी0/एम0फिल0 एवं अन्य शैक्षिक योग्यताओं हेतु इन्सेंटिव के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था ही लागू रहेगी।

14 विनियम संख्या–19.3 में उल्लिखित भत्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियम ही लागू होंगे।

3–"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" के शेष विनियम उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के संदर्भ में यथावत लागू होंगे।

4– "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018" को विनियम संख्या 1.3 में अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि अर्थात 18 जुलाई, 2018 से लागू किया गया है किन्तु उत्तर प्रदेश में उपरोक्त विनियम को पूर्वगामी तिथि से लागू करने की दशा में कतिपय विसंगतियां उत्पन्न होना संभावित है अतः "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" इस शासनादेश के निर्गत करने की तिथि से लागू होगा। इसके साथ ही उपरोक्त विनियम राज्य सरकार द्वारा लिये गये किसी नीति विषयक निर्णय के अनुरूप न होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति ही लागू होगी।

5– "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018" को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (6) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों में सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्तानुसार विनियमों को लागू करने के फलस्वरूप यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2010 के आधार पर बनाये गये सुसंगत परिनियम उक्त प्रस्तर–2 में

उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन, 2018 के विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित समझे जायेंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन, 2018 के विनियमों को समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपने परिनियमों में यथा स्थान समाविष्ट करते हुये दिनांक 30 जून, 2019 के पूर्व अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

संख्या–600(1)/सत्तर–1–2019–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
2– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4– अपर मुख्य सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
5– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6– वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग–11, उत्तर प्रदेश शासन।
10– वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11– समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को समस्त सम्बन्धित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें तथा शासन को अवगत करायें।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव